



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 अग्रहायण 1943 (श10)
(सं० पटना 980) पटना, वृहस्पतिवार, 2 दिसम्बर 2021

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

19 नवम्बर 2021

सं० जी०सां०का०-01/2008/1347—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 4 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रविशंकर, उप निदेशक, योजना पर्षद, बिहार, पटना को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य के लिए मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है। पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
उप सचिव।

The 19th November 2021

No.- Ji. San. Ka.- 01/2008/ 1347—In the exercise of the power conferred by sub-section (1) of section-4 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969

Sri Ravishankar, Deputy Director, Planning Board, Bihar, Patna is appointed as Chief Registrar (Births and Deaths), Bihar for the execution of the above Act. All subsequent Notifications / orders in this regards issued earlier will be treated as amended.

It shall come into force with effect from the date of issue.

By the order of the Governor of Bihar,

Sd./Illegible

Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 980-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>